(187)

संख्याः- 236 /VI(1)/2013-219(पर्य0)/2002

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 13 फरवरी, 2013

विषयः-जनपद चमोली के पर्यटक आवास गृह आदिबद्री के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-325-प.अ./2001-219 पर्य./2000-01, दिनांक 30 मार्च, 2002 द्वारा पर्यटक आवास गृह सिमली जनपद चमोली के निर्माण हेतु अनुमानित लागत ₹ 42.23 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु सिमली में समुचित स्थान उपलब्ध न होने, स्थान परिवर्तन होने से कुर्सी क्षेत्रफल एवं दूरी तथा ऊँचाई Index में वृद्धि, 2001-02 के स्थान पर 2005-06 अर्थात 04 वर्षो में सामग्री एवं मजदूरी दर में वृद्धि होने के कारण पर्यटक आवास गृह आदिबद्री के निमार्ण हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन ₹ 83.24 लाख के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-330/2-6-343/2002/2013, दिनांक 17 जनवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राप्त कराये गये अनुमानित लागत ₹ 83.24 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 75.28 लाख के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में सिमली पर्यटक आवास गृह हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 42.23 लाख को कम करते हुए राज्य सेक्टर के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्य की मद से ₹ 33.05 लाख (₹ तैंतीस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

4- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक अवश्य कर लिया जाय तथा निर्माण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि पर ही सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण किया जायेगा तथा इस हेतु पुनरीक्षित आगणन का प्रस्ताव कदापि प्रस्तुत नहीं किया जायेगा एवं ऐसा करने पर अतिरिक्त धनराशि को निर्माण इकाई द्वारा वहन किया जायेगा।

...2

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

7– एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–निर्माण कार्य चालू–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

11– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–959/XXVII(2)/2012, दिनांक 09 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

12– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S1302260199 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 236 /VI(1)/2013–219(पर्य0)/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव–मा0 पर्यटन मंत्री, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
9– वित्त अनुभाग–2,
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।